

‘मुख्यमंत्री मतान योजना’ प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में भी होगी लागू

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए घर-बैठे प्रमाण-पत्र तथा आवश्यक शासकीय दस्तावेज़ बनवाने के लिये संचालित लोकप्रिय ‘मुख्यमंत्री मतान योजना’ को प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- ‘मुख्यमंत्री मतान योजना’ वर्तमान में प्रदेश के 14 नगर नगिमों में संचालित है। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 01 मई, 2022 से लागू इस योजना का लाभ अब तक 96,258 नागरिक उठा चुके हैं।
- मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के लागू होने के बाद से नागरिकों को ज़रूरी प्रमाण-पत्र और शासकीय दस्तावेज़ बनवाने के लिये नगर नगिम, तहसील तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के आवश्यकता नहीं रह गई है।
- इस योजना के तहत अब तक 96 हजार 258 नागरिकों को उनकी आवश्यकता के शासकीय दस्तावेज़ घर-बैठे प्रदान किये जा चुके हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिये अब तक 01 लाख 13 हजार 234 नागरिकों द्वारा टोल फ्री 14545 नंबर पर सरकारी दस्तावेज़ बनवाने के लिये कॉल किये गए हैं।
- योजना के लागू होने से वरिष्ठ नागरिकों, दवियांगजनों, मज़दूरों, कसिनों, महिलाओं और आम नागरिकों को काफी सहूलियत हो गई है।
- मतान योजना के अंतर्गत घर-बैठे मूल नविसी प्रमाण-पत्र, अनुसूचति जात/जनजात प्रमाण-पत्र, अन्य पछिड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, भूमि रिकॉर्ड की नकल, मृत्यु प्रमाण-पत्र, वविह पंजीकरण और प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र सुधार और दुकान एवं स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज़ मतान सेवा से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- इसी तरह मृत्यु प्रमाण-पत्र सुधार, वविह प्रमाण-पत्र सुधार, आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार, नया राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड ट्रांसफर/सरेंडर, राशन कार्ड सुधार, नया राशन कार्ड एपीएल, राशन कार्ड गुम केस, राशन कार्ड में नाम जोड़ना/काटना, नया बीपीएल राशन कार्ड बनाने की सुविधा इस योजना के तहत प्रदान की जा रही है।
- नागरिकों को मुख्यमंत्री मतान योजना से लाभान्वति होने के लिये योजना के टोल-फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होता है। इसके बाद अप्वाइंटमेंट बुक किया जाता है। तय समय और तारीख को मतान आवेदक के घर पहुँचकर आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करते हैं और टैबलेट के माध्यम से दस्तावेज़ों को सत्यापति कर पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
- इसके बाद सत्यापति दस्तावेज़ों को संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजा जाता है, जो आवेदक से संबंधित दस्तावेज़ की समीक्षा के बाद प्रमाण-पत्र जारी करते हैं। प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद मतान द्वारा प्रमाण-पत्र आवेदक के घर पहुँचा दिया जाता है।



PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mukhyamantri-mitan-yojana-to-be-implemented-in-all-44-municipalities>

